एस. सी. के.

एस.एस. संधावालिया, सी.जे. और आई.एस. तिवाना, जे. के समक्ष

जय चंद और अन्य,-अपीलकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी।

1977 की आपराधिक अपील संख्या 534।

29 जुलाई, 1979.

हरियाणा बाल अधिनियम (1974 का 14)-धारा 21 और 23-उच्च न्यायालय के नियम और आदेश, खंड III, अध्याय 1-जी (भाग जी) (ए) और (बी)-अभियुक्त द्वारा दी गई उम्र और दृश्य के बीच व्यापक असमानता ट्रायल जज का मूल्यांकन - विभिन्न अवसरों के बावजूद आरोपी द्वारा निर्विवादित जज का मूल्यांकन - ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य - अधिनियम का लाभ सुरक्षित करने के लिए उम्र साबित करने का दायित्व - क्या आरोपी पर है।

अधिकृत किया गया कि उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड III के अध्याय 1-जी (भाग जी) (ए) और (बी) को पढ़ने से पता चलता है कि उम्र के बारे में अपना अनुमान दर्ज करना सत्र न्यायाधीश के लिए अनिवार्य है। दी गई उम्र और शक्ल-सूरत के हिसाब से उम्र के बीच असमानता स्पष्ट है। उपर्युक्त नियमों और आदेशों ने पीठासीन अधिकारियों पर उम्र के बारे में अपनी राय दर्ज करने का वैधानिक दायित्व रखा है, जहां यह महत्वपूर्ण हो सकता है। उपरोक्त नियमों एवं आदेशों का औचित्य स्पष्ट प्रतीत होता है। ओसिफिकेशन परीक्षण लागू करने के लिए केवल नैदानिक परीक्षा या यहां तक कि रेडियोलॉजिकल परीक्षा में भी दो या अधिक वर्षों का अंतर होगा। इस नियम के अनुपालन को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जब मार्जिन एक छोटे व्यक्ति में उम्र-दर-उम्र भिन्न होता है। जहां अभियुक्त को पता है कि अदालत मुकदमे के समय उसकी उम्र के संबंध में उसके आईपीएसी दीक्षित को स्वीकार नहीं कर रही है और अभियुक्त की ओर से अपने दावे को स्थापित करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है कि वह अपराध के समय एक बच्चा था। अपराध के मामले में, वह हरियाणा बाल-

बाल अधिनियम, 1974 की धारा 21 और 23 के लाभ का दावा नहीं कर सकता है। सिद्धांत रूप में, यह अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है कि किसी तथ्य को साबित करने का दायित्व आवश्यक रूप से उस पक्ष पर होना चाहिए जो लाभ का दावा करता है उसके लेकिन केवल उम्र के मुद्दे पर अभियुक्त के मुंह की बात को स्वीकार करना एक आपराधिक क़ानून के लाभों का अनुचित लाभ लेने के पेटेंट उद्देश्य के साथ इच्छुक आईपीएस दीक्षित पर अनुचित प्रीमियम डालना हो सकता है। इसलिए अधिनियम के तहत लाभ के प्रयोजन के लिए आयु स्थापित करने का दायित्व अनिवार्य रूप से आरोपी व्यक्ति पर होना चाहिए और उसे उचित रूप से मुक्त किया जाना चाहिए।

(पैरा 18 और 19)

अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने वाले श्री ए.एम. अग्रवाल, सत्र न्यायाधीश, रोहतक के दिनांक 18 अप्रैल, 1977 के आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलकर्ताओं की ओर से यू.डी. गौड़, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से वकील वी.के. बाली।

शिकायतकर्ता के लिए एन.सी. जैन, वकील और वी.के. जैन, वकील।

निर्णय

एस.एस. संधावालिया सी.जे

1. दोषी जय चंद, उनके तीन बेटों बदन सिंह, जगमाल और सतबीर और भतीजे शमसेर को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 148 और 302 के तहत आरोप पर रोहतक के सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लाया गया था। इन सभी को उपरोक्त आरोपों पर दोषी ठहराया गया और हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और सहायक अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं यथावत चलने का निर्देश दिया गया।

2. अपीलकर्ता और मृतक किदारा ग्राम रिटोली के हैं और यह गंभीर विवाद में नहीं है कि मृतक और उसके भाई धारा पी.डब्ल्यू की भूमि। अपीलकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ है और जय चंद अपीलकर्ता के खेतों से होकर गुजरने वाले एक सामान्य जलधारा द्वारा सिंचित किया गया था। घटना से लगभग 15 दिन पहले, मृतक किदारा उक्त जलस्रोत की सफाई कर रहा था, जब जय चंद अपीलकर्ता ने उसे ऐसा करने से इस दलील के साथ रोका कि वह जलस्रोत में मिट्टी डाल रहा है, जिससे पानी उसमें अवरुद्ध हो जाएगा। किदारा ने आरोप लगाया हालाँकि, वह अपनी नौकरी पर कायम रहा, जिसके बाद जय चंद अपीलकर्ता ने दुर्व्यवहार का सिलसिला शुरू कर दिया और एक विवाद हुआ, लेकिन अंततः किदारा मर गया और घर लौट आया।

3. वास्तविक घटना 21 दिसंबर, 1975 को सुबह लगभग 6.30 बजे घटी। किदारा, उनके बेटे कालू और भतीजे मोहिंदर (दोनों बच्चे) और उनके भाई धारा पी.डब्लू. की मृत्यु हो गई। राजोवाली तालाब के पास प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए सभी एक साथ खेतों में गए थे। ऐसा करने के बाद, किदारा मृतक उपरोक्त तालाब पर अपने हाथ धो रहा था, तभी सभी पांच अपीलकर्ता, जिनमें से जय चंद और सतबीर लाठियों से लैस थे और अन्य जेल में बंद थे, वहां आए और जय चंद अपीलकर्ता ने चुनौती दी कि वह अब ऐसा करेगा। जलस्रोत से छेड़छाड़ करने पर किदारा को सबक सिखाएं। तुरंत ही जय चंद अपीलकर्ता ने मृतक किदारा के नितंब पर लाठी से हमला शुरू कर दिया और सतबीर ने मृतक पर एक और लाठी मारी, जिसके बाद अन्य तीनों अपीलकर्ताओं ने भी किदारा पर अंधाधुंध जेली वार किए। जय चंद अपीलकर्ता ने मृतक के सिर पर लाठी का एक और वार दोहराया। अनिवार्य रूप से, पीड़ित ने शोर मचाया जिससे धारा, उसका भाई और मोहिंदर और कालू मौके पर आ गए जिन्होंने हमला देखा। इसके बाद अपीलकर्ता अपने हथियारों के साथ वहां से पीछे हट गए।

4. धारा पी.डब्लू. एक टेम्पो सुरक्षित किया और अपने बुरी तरह से घायल भाई किदारा को उसमें बिठाकर लगभग 12 मील की दूरी पर पुलिस स्टेशन, कलानौर ले गए, जहां वे सुबह 10.30 बजे पहुंचे। सब-इंस्पेक्टर मौजी राम ने बयान दर्ज किया। मृतक किदारा की और उसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 325 सहपठित धारा 149 और 148 के तहत दर्ज की गई थी। चोट का बयान प्रदर्शनी पी.सी. तैयार किया गया और घायल किदारा को उसके भाई धारा के साथ कांस्टेबल बिशंबर दयाल के साथ मेडिकल जांच के लिए सिविल डिस्पेंसरी, कलानौर भेजा गया। हालाँकि, सिविल डिस्पेंसरी, कलानौर में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे और अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भी डिस्पेंसरी के फार्मासिस्ट से प्रदर्श पी.सी./1, घायल किदारा को धारा पी.डब्ल्यू के साथ उसी टेम्पो पर मेडिकल कॉलेज, रोहतक की ओर ले जाया गया। हालाँकि, रास्ते में पीड़ित ने दम तोड़ दिया और सब-इंस्पेक्टर मौजी राम ने सड़क पर खड़े टेम्पो को देखा, तो उन्होंने किदारा की मौत के बारे में पूछताछ की और उसके बाद धारा 302 के तहत अपराध को बदलने के लिए कदम उठाए। प्रथम सूचना रिपोर्ट. उन्होंने जांच रिपोर्ट भी तैयार की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर पहुंच कर उन्होंने वहां से रक्तरंजित मिट्टी उठाई और बाद में जांच की अन्य बातें पूरी कीं.

5. चिकित्सीय गवाही के आधार पर कोई गंभीर विवाद नहीं उठाया गया है और यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि डॉ. डी. आर. चुघ द्वारा किए गए शव परीक्षण में शरीर पर फ्रैक्चर के कारण 9 कटे, कटे और कटे हुए घावों का खुलासा हुआ। मृत्यु का कारण उपरोक्त चोटों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और सदमा था, जो सभी मृत्यु पूर्व थे और प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे। गवाह ने यह भी कहा कि चोटों और मृत्यु के बीच का समय 12 घंटे के भीतर था और मृत्यु और पोस्टमार्टम के बीच का समय 24 घंटे के भीतर था। पी.डब्लू. 2. सिविल डिस्पेंसरी, कलानौर के फार्मासिस्ट अशोक कुमार छाबड़ा ने केवल वहां से डॉक्टर की अनुपस्थिति और एक्ज़िबिट पी.सी. पर उनके समर्थन के बारे में गवाही दी।

6. नेत्र संबंधी विवरण सबसे पहले पी.डब्लू. का है। धारा, मृतक का भाई है, जिससे लंबी और कठिन जिरह की गई, हालांकि, बचाव के पक्ष में बहुत कम या कुछ भी नहीं निकला। पी.डब्लू. 5 कालू, मृतक का मात्र 13 वर्ष का लड़का, दूसरा चश्मदीद गवाह है जिसे विद्वान सत्र न्यायाधीश ने एक सक्षम गवाह पाया था और उसने अभियोजन की कहानी के समर्थन में बिना किसी अनिश्चित शर्तों के गवाही भी दी है। पी.डब्लू. 6 मोहिंदर, जो महज 10 से 11 साल का बच्चा है, को जिरह के लिए पेश किया गया लेकिन उसे चुनौती नहीं दी गई। मामले में मुख्य जांच अधिकारी पी.डब्ल्यू. हैं। 13 मौजी राम जिन्होंने मृत्यु पूर्व बयान प्रदर्शन पी.एच. की रिकॉर्डिंग के संबंध में श्रेणीबद्ध तरीके से गवाही दी। और इसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149 और 148 के साथ पठित धारा 324 और 325 के तहत मामले का मूल पंजीकरण। अभियोजन पक्ष की बाकी गवाही सहायक और पुष्टिकारक प्रकृति की है।

7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में। जय चंद ने अपीलकर्ताओं के आपसी संबंध को स्वीकार किया यह भी तथ्य कि मृतक और अपीलकर्ताओं के खेत आसपास थे, लेकिन उसने अपनी भूमि के माध्यम से किसी भी जलस्रोत के अस्तित्व से इनकार करने का प्रयास किया। अभियोजन पक्ष के बाकी आरोप. इनकार कर दिया गया था और झूठे आरोप की गंजा दलील के अलावा इस अपीलकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि पहले कई चोट के मामले थे जिनमें पार्टियों ने या तो हमला किया था या एक दूसरे के खिलाफ गवाह के रूप में पेश हुए थे। बाकी अपीलकर्ताओं ने भी वही रुख अपनाया जो जय चंद अपीलकर्ता ने लिया था। रक्षा में डी.डब्ल्यू. 1, श्री आई. एम. मलिक, वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश-सह- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नारनौल को भारतीय दंड संहिता की धारा 326/34 के तहत राज्य बनाम किदारा में दिए गए पहले के मामलों और बयानों को साबित करने के लिए गवाह-

बॉक्स में रखा गया था। डी.डब्ल्यू की गवाही 2 ईश्वर को इन पहले के आहत मामलों और उनके बयान और सबूतों के संबंध में भी पेश किया गया था।

8. श्री यू.डी. गौड़ द्वारा अपीलकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्क की पूरी गंभीरता उनके इस रुख पर केंद्रित है कि वास्तव में मृत्यु पूर्व बयान पी.एच. जैसा कि सब-इंस्पेक्टर मौजी राम ने बताया था, विधिवत दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन वास्तव में जब किदारा को पुलिस स्टेशन लाया गया तो वह पहले ही मर चुका था। वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया था कि मृतक गंभीर रूप से घायल था, इसलिए पी.डब्ल्यू. के लिए यह अधिक संभावना और विवेकपूर्ण था। 4 धारा ने उसे कलानौर ले जाने के बजाय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपलब्ध बेहतर चिकित्सा सहायता के लिए रोहतक ले जाने के लिए कहा, जो विपरीत दिशा में कुछ मील की दूरी पर स्थित है। दलील यह थी कि गांव रतौली से कलानौर तक मुख्य पक्की सड़क वस्तुतः रोहतक के बाईपास को छूती है और अनिवार्य रूप से घायल किदारा, यदि जीवित होता, तो उसे कलानौर नहीं, बल्कि रोहतक ले जाया जाता। इन परिसरों पर. श्री गौड़ ने तर्क दिया था कि वास्तव में यह किदारा का शव था जिसे कलानौर के पुलिस स्टेशन में ले जाया गया था, न कि घातक रूप से घायल मृतक का।

9. यद्यपि यह तर्क बड़ी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया गया था, परंतु इसका खोखलापन स्पष्ट प्रतीत होता है। सबसे पहले पी.डब्ल्यू की स्पष्ट गवाही है। 4 मृतक का भाई धारा कि जब वे लोग कलानौर पहुंचे। एक्ज़िबिट पी.एच. ने बताया कि किदारा अभी भी जीवित थे और बयान देने के लिए पूरी तरह से होश में थे। यह ध्यान में रखना होगा कि गांव रतौली पुलिस स्टेशन, कलानौर के अधिकार क्षेत्र में आता है, और इसलिए, यह स्वाभाविक और संभावित दोनों था कि घायल किदारा को पहली बार में उक्त स्थान पर ले जाया जाए। हालाँकि, जो बात विशेष रूप से उजागर करने लायक है, वह यह स्वीकारोक्ति तथ्य है कि अस्पताल कलानौर में स्थित है और गाँव रतौली के क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में आएगा।

उक्त अस्पताल, मेडिको-लीगल उद्देश्यों के लिए। इसलिए इस बात की भी अधिक संभावना थी कि किदारा को पहले कलानौर के अस्पताल ले जाया जाए। जैसा कि उपरोक्त तथ्यों के बायोडाटा में पहले से ही दिया गया है, जब यह पता चला कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, तभी घायल किदारा को रोहतक की ओर ले जाया गया, लेकिन वह यात्रा में जीवित नहीं बच पाया। यह ध्यान देने योग्य है कि पार्श्विका क्षेत्र पर एक चोट के अलावा, बाकी गंभीर चोटें मृतक के हाथ और पैर पर थीं जिन्हें बेरहमी से तोड़ दिया गया था। इसके बाद सब-इंस्पेक्टर मौजी राम पी.डब्लू की स्पष्ट गवाही है। 13 इस आशय का कि किदारा जीवित था और बयान देने की स्थिति में था जब उसने उसकी जांच की। दरअसल उन्होंने कहा कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए उन्होंने पी.डब्लू. से पूछा था। जब उसने मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया तो

धारा और अन्य लोग चले गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उपरोक्त देखी गई चोटों के मद्देनजर पुलिस अधिकारी ने प्रथम सूचना में अपराध को धारा 324/325 के तहत दर्ज किया। इससे पता चलता है कि पुलिस अधिकारी और जाहिर तौर पर मृतक के भाई ने भी अभी तक सोचा था कि चोटें अपेक्षाकृत मामूली प्रकृति की हैं। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 307 या 308 के तहत दर्ज नहीं किया गया था। मौजी राम पी.डब्लू की जिरह में कुछ भी नहीं है। 13, जिससे कोई भी उनके स्पष्ट बयान पर अविश्वास कर सकता है कि उन्होंने सामान्य तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 325 के तहत एक अपेक्षाकृत सरल मामला दर्ज करने के लिए घायल गवाह का बयान दर्ज किया था। अन्यथा भी यह सुझाव अविश्वसनीय है कि पी.डब्लू. मौजी राम जानबूझकर मृत व्यक्ति के अंगूठे का निशान प्रदर्शनी पी.एच. के बयान पर बनाता था। और झूठा मृत्यु पूर्व बयान तैयार किया, जबकि पीड़िता पहले ही मर चुकी थी। न ही किसी विशेष रुचि का कोई कारण सुझाया गया है जो संभवतः किसी लोक सेवक को प्रेरित कर सके। सब-इंस्पेक्टर मौजी राम की तरह, इस तरह की ज़बरदस्त जालसाजी और निर्माण में शामिल होना।

10. अपीलकर्ताओं के वकील ने तब यह तर्क देकर एक पुआल पकड़ने का प्रयास किया था कि घायल किदारा को ले जाने वाले टेम्पो के चालक को गवाह-बॉक्स में नहीं रखा गया था और उसका गैर-उत्पादन अभियोजन मामले में एक भौतिक कमजोरी थी। . मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूं. मुझे यह एक असामान्य तर्क लगता है कि जिस वाहन में अपराध के घायल अपराधी को ले जाया जा सकता है, उसका चालक मामले में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक गवाह है। जैसा कि देखा गया है, अभियोजन पक्ष ने किदारा के घायल होने और घटनास्थल पर जीवित होने के संबंध में दो चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की और पी.डब्ल्यू. के साक्ष्य को भी रिकॉर्ड पर लाया। 4 धारा और उप-

इंस्पेक्टर मौजीराम ने बताया कि घायल जब जीवित था पुलिस थाना कलानौर लाया गया। यदि इन गवाहों की गवाही स्वीकार कर ली जाती है तो अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई गवाह लाने के लिए बाध्य नहीं है कि किदारा यात्रा के सभी पारगमन चरणों में जीवित था। इस संदर्भ में केशव गंगा राम नावगे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य,[1] (1) पर विद्वान वकील की निर्भरता मुझे गलत लगती है। उस फैसले में की गई टिप्पणियों को कानून के नियम पर नहीं उठाया जा सकता है कि घायलों को ले जाने वाले परिवहन के ड्राइवर बाद के अभियोजन मामले में आवश्यक या भौतिक गवाह हैं। इस संबंध में नवीन सुझाव पर केवल ध्यान दिया जाना चाहिए और उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

[1] A.I.R. 1971 S.C. 953.

11. खुद को मुख्य रूप से मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर केंद्रित करते हुए, श्री गौड़ वास्तव में पी.डब्ल्यू के प्रत्यक्ष नेत्र खाते के खिलाफ कोई भी तर्क देने से चूक गए थे। धारा और कालू जिसमें मृत्यु पूर्व कथन प्रदर्शनी पी.एच. के सभी विवरण शामिल हैं। वास्तव में वर्तमान प्रकार के एक मामले में जिसमें दो बेदाग चश्मदीद गवाह जिरह में पूरी तरह बेदाग रहे हैं, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर दिया गया कुल जोर मुझे असंतुलित प्रतीत होता है। किसी भी आलोचना के अभाव में और एक स्वतंत्र मूल्यांकन पर भी यह माना जाना चाहिए कि उपरोक्त दो गवाहों द्वारा दिया गया नेत्र संबंधी विवरण पूरी तरह से स्वीकार करने योग्य है। इस बिंदु पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की भी पुष्टि की जाती है।

12. वर्तमान मामले में मकसद के साक्ष्य को गंभीरता से खारिज नहीं किया गया है। चश्मदीद गवाह का विवरण तुरंत स्वीकार किए जाने योग्य है क्योंकि यह पूरी तरह से घटना के तुरंत बाद मृतक द्वारा दिए गए मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के अनुरूप और पुष्टि करने वाला है, जिसे ऊपर उल्लिखित कारणों से स्वीकार किया जाना चाहिए। चिकित्सीय गवाही फिर से हर मामले में नेत्र संबंधी विवरण से मेल खाती है। इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियों से अभियोजन का मामला पूरी तरह से स्थापित हो गया है।

13. गुणों के आधार पर मुख्य मुद्दे पर खारिज किए गए श्री गौड़ फिर उस तर्क पर पलट गए जो हमें अत्यधिक तकनीकी दलील के रूप में दिखाई देता है। यह तर्क दिया गया कि जगमाल अपीलकर्ता ने अपनी उम्र 15 साल बताने का फैसला किया था (भले ही विद्वान सत्र न्यायाधीश, जिनके पास पूरे मुकदमे के दौरान उसे देखने का अवसर था, ने स्पष्ट रूप से देखा कि दिखने में वह कहीं अधिक उम्र का लग रहा था और लगभग 22 से 23 साल का था) आयु) और, इसलिए, हरियाणा बाल अधिनियम के प्रावधान, 1974 आकर्षित होगा. इन आधारों पर यह तर्क देने की मांग की गई थी कि अपीलकर्ता जगमाल पर उसके अन्य सह-अभियुक्तों के साथ अपराध के लिए न तो मुकदमा चलाया जा सकता था और न ही दोषी ठहराया जा सकता था और इसके अलावा किसी भी मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती थी।

14. यह स्पष्ट ध्यान देने की मांग करता है कि उपरोक्त विवाद का तथ्यात्मक आधार वर्तमान रिकॉर्ड में पूरी तरह से गायब है। यहां तक कि मुकदमे के शुरुआती चरण में, अर्थात् आरोप की रिकॉर्डिंग में, जज ने स्पष्ट रूप से जगमाल अपीलकर्ता की उम्र को उपस्थिति के अनुसार लगभग 22 या 23 वर्ष पाया था।

हरियाणा बाल अधिनियम, 1974 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 23(1) निम्नलिखित शर्तों में है:-

"23(1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का केंद्रीय अधिनियम 5) की धारा 239 या उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद, किसी भी बच्चे पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा या उसके लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर अपराध करना जो बच्चा नहीं है।"

अब पूर्वोक्त प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट हैं और भले ही अपीलकर्ताओं का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया गया था और वकील द्वारा अच्छी तरह से बचाव किया गया था, फिर भी इस अपीलकर्ता के एक बच्चा होने और इसके परिणामस्वरूप कानूनी बाधा के अस्तित्व के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई थी। उनके अन्य सह-अभियुक्तों के साथ उनका मुकदमा।

15. उपरोक्त स्थिति को श्री गौड़ ने काफी हद तक स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने यह रुख अपनाया कि उस स्तर पर और बाद में मुकदमे की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी आपत्ति की पूर्ण अनुपस्थिति से भी कानूनी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

16. धारा 313, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत बयान की रिकॉर्डिंग के समय, जगमाल अपीलकर्ता ने फिर से 15 वर्ष की उम्र का नाटक किया और विद्वान न्यायाधीश ने दावे को खारिज करते हुए फिर से दर्ज किया कि उपस्थिति से वह 21 या 23 वर्ष का था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोषसिद्धि की रिकॉर्डिंग के बाद भी अपीलकर्ता के वकील को सजा देने के संबंध में स्पष्ट रूप से विस्तार से सुना गया था। उस स्तर पर भी कोई दावा नहीं किया गया था कि इस अपीलकर्ता को बच्चा होने के आधार पर आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। हरियाणा बाल अधिनियम की धारा 21(1) के प्रावधान इस प्रकार हैं:

"21(1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानून में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई बच्चे अपराधी को जुर्माने का भुगतान न करने या सुरक्षा प्रदान करने में चूक करने पर मौत या कारावास की सजा नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि जहां अपराध के समय कोई बच्चा चौदह वर्ष या उससे अधिक उम्र का था और बच्चों की अदालत इस बात से संतुष्ट है कि किया गया अपराध कोई गंभीर प्रकृति का नहीं है या उसका आचरण और व्यवहार ऐसा है कि ऐसा हो सकता है। उसे ऐसे विशेष स्कूल में भेजना उसके हित में या किसी विशेष स्कूल के अन्य बच्चों के हित में नहीं है और इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अन्य कोई भी उपाय उपयुक्त या पर्याप्त नहीं हैं, तो बाल न्यायालय अपराधी बच्चे को आदेश दे सकता है। ऐसी शर्तों पर, जो लगाई जा सकती हैं, पर्यवेक्षण गृह में या माता-पिता, अभिभावक या योग्य व्यक्ति के साथ रखा जाएगा और राज्य सरकार के आदेशों के लिए मामले की रिपोर्ट करेगा।"

यहां तक कि प्रावधान की स्पष्ट भाषा के संदर्भ में भी, इसके आधार पर किसी भी दावे का संकेत नहीं दिया गया है कि जगमाल अपीलकर्ता को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती, विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष उठाया गया था। हमारे समक्ष अपीलकर्ता की ओर से इस पर फिर से विवाद नहीं किया गया है।

17. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एक बार नहीं बल्कि दो बार विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ता की उम्र 22 से 23 वर्ष बताई गई, जो अपीलकर्ता और उसके वकील को स्पष्ट नोटिस देने वाली थी कि जगमाल की आईपीएस दीक्षित के साथ उनकी उम्र के संबंध में स्वीकार नहीं किया जा रहा था और परीक्षण के समय केवल 15 वर्ष की उम्र होने के उनके संस्करण को उनकी उपस्थिति के खिलाफ स्पष्ट रूप से विशिष्ट माना जा रहा था जो मामूली नहीं बल्कि दावा की गई उम्र से 7 या 8 वर्ष अधिक लग रही थी। फिर भी। इस अपीलकर्ता की ओर से अपने दावे को स्थापित करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया कि अपराध के समय या यहां तक कि मुकदमे के चरण में भी वह एक बच्चा था। उनकी जन्म प्रविष्टि या किसी अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जैसे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र आदि के संबंध में कोई सबूत भी उनकी ओर से रिकॉर्ड में जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया था। इसके अलावा, बचाव में गवाही देने के अवसर के बावजूद इस मुद्दे पर अपीलकर्ता के पिता या मां का मौखिक साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया। यह उजागर करने योग्य है कि जगमाल के पिता, अर्थात्, जय चंद स्वयं मुकदमे में सह-अभियुक्त थे और इस संबंध में एक शब्द भी कहने के लिए आगे नहीं आए। फिर से, यह नोटिस की मांग करता है कि कोई दावा नहीं है इस अपीलकर्ता की ओर से अपनी आयु स्थापित करने के लिए स्वयं की चिकित्सीय और चिकित्सकीय जांच की गई थी। इसलिए, इस रिकॉर्ड में जगमाल अपीलकर्ता के दावे को साबित करने के लिए थोड़ा सा भी सबूत नहीं है कि वह अपराध के समय या यहां तक कि मुकदमे के समय भी बच्चा था।

18. सिद्धांत रूप में, यह अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है कि किसी तथ्य को साबित करने का दायित्व आवश्यक रूप से उस पक्ष पर होना चाहिए जो उसके लाभ का दावा करता है। इस प्रकार जगमाल अपीलकर्ता इस दायित्व का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल रहा। इसमें, क़ानून द्वारा निर्धारित दायित्व के अलावा, अपीलकर्ता को स्पष्ट सूचना थी कि उसकी उम्र के संस्करण को ट्रायल कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। फिर भी, उन्होंने उस निष्कर्ष का खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। दास्सपा बनाम मैसूर राज्य, [2](2) में, यह माना गया है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ सुरक्षित करने के लिए उम्र साबित करने का दायित्व इसके तहत लाभ का दावा करने वाले व्यक्ति पर है। हमें कोई कारण नहीं दिखता कि हरियाणा बाल अधिनियम के तहत स्थिति किसी भी तरह से भिन्न हो सकती है।

19. श्री गौड़ के प्रति निष्पक्षता में, रायसुई बनाम यूपी राज्य,[3] (3) का संदर्भ दिया जाना चाहिए, जिस पर उन्होंने मुख्य रूप से अपने तर्क पर भरोसा किया था कि सत्र न्यायाधीश द्वारा उपस्थिति के आधार पर उम्र की रिकॉर्डिंग स्वीकार्य नहीं हो सकती है। जिस तरह से हमने उस संक्षिप्त फैसले को पढ़ा, जो केवल सजा के बिंदु तक ही सीमित था, हमें ऐसा नहीं लगता कि उनके आधिपत्य कानून के किसी भी अनम्य नियम को निर्धारित कर रहे थे कि किसी भी मामले में सत्र न्यायाधीश द्वारा उम्र का अनुमान नहीं लगाया जाएगा। स्वीकार किया जाए या इसके विपरीत कि आरोपी व्यक्ति द्वारा उम्र का बयान वस्तुतः निर्णायक है। उसमें की गई उनकी आधिपत्य की टिप्पणियाँ संभवतः उस मामले के तथ्यों के विशिष्ट संदर्भ में की गई थीं। हालाँकि, इस संदर्भ में जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि रईसुल का उपरोक्त मामला इलाहाबाद से था और इसके बाद जिन वैधानिक प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है, उनके मद्देनजर स्थिति मौलिक रूप से भिन्न प्रतीत होती है। हमारे सामने यह विवादित नहीं था कि उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों को उसके अधिकार क्षेत्र में कानून का बल प्राप्त है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड III के अध्याय 1-जी (भाग जी) (ए) और (बी) में इसे स्पष्ट रूप से निम्नानुसार प्रदान किया गया है: -

"(ए) आपराधिक मामलों में, जिसमें आरोपी व्यक्ति, शिकायतकर्ता या गवाह की उम्र संबंधित मामले के लिए महत्वपूर्ण है, या सजा को प्रभावित करने की संभावना है, तो न्यायालय को ऐसे आरोपी व्यक्ति, शिकायतकर्ता या गवाह की संभावित उम्र के बारे में सावधानीपूर्वक निष्कर्ष रिकॉर्ड करना चाहिए, और इस

[2] A.I.R. 1965 Mysore 224.
[3] A.I.R. 1977 S.C. 1822.

बिंदु पर साक्ष्य में होने वाली किसी भी विसंगति का उल्लेख करना और उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। संदेह की स्थिति में चिकित्सा अधिकारी की राय लेनी चाहिए। अभियुक्त की उम्र, जैसा कि न्यायालय ने पाया या माना, निर्णय में अनिवार्य रूप से बताया जाना चाहिए। अभियुक्त की संभावित आयु का सावधानीपूर्वक विवरण हत्या के मामलों में विशेष रूप से आवश्यक है, जिसमें आरोपित व्यक्ति युवा है या उसकी उम्र बहुत अधिक है। लेकिन प्रत्येक मामले में, जिसमें आरोप तय किया गया है, अभियुक्त को अपनी परीक्षा के आरंभ में, अपनी उम्र बताने की आवश्यकता होनी चाहिए; और ऐसे सभी मामलों में जिनमें न्यायालय को अभियुक्त की उम्र बीस वर्ष से कम या पचास वर्ष से अधिक प्रतीत होती है, या किन्हीं विशेष कारणों से महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, मजिस्ट्रेट को उसकी संभावित उम्र के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए एक नोट जोड़ना चाहिए आरोपी।

टिप्पणी। उच्च न्यायालय के ध्यान में यह लाया गया है कि किशोर अपराधियों की उम्र की अपर्याप्त जांच के कारण बहुत अधिक उम्र के युवाओं को कभी-कभार ही सुधार विद्यालय में नहीं भेजा जाता है। इसलिए, न्यायाधीश सभी मजिस्ट्रेटों का ध्यान सुधारात्मक विद्यालय अधिनियम 1897 की धारा II में निर्धारित आयु की प्रारंभिक जांच में सावधानी बरतने और संदिग्ध मामलों में चिकित्सा सलाह लेने की औचित्य की ओर आकर्षित करते हैं।

(बी) न तो शिकायतकर्ता, न ही गवाह और न ही किसी आरोपी व्यक्ति को साक्ष्य के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा परीक्षण के लिए बाध्य किया जा सकता है। कानून के अनुसार एक आपराधिक न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, को मेडिका जांच के अधीन करने का आदेश देने की कोई शक्ति नहीं है, हालांकि, जहां जांच की जाने वाली व्यक्ति की सहमति (या नाबालिग के मामले में, या उसकी) वैध अभिभावक) प्राप्त हो गया है। ऐसी परीक्षा को अधिकृत किया जा सकता है। किसी महिला की सहमति के बिना उसके सद्गुणों के विरुद्ध अपराध की शिकायत करने वाली महिला की चिकित्सीय जांच का आदेश देने की प्रथा अवैध है।"

अब उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर विद्वान सत्र न्यायाधीश के लिए अपना अनुमान दर्ज करना अनिवार्य था उम्र जब दी गई उम्र और दिखने में उम्र के बीच इतनी व्यापक असमानता प्रकट हुई थी। वैधानिक बल वाले प्रावधानों को अनिवार्य रूप से उसके अनुपालन में किए गए किसी भी काम पर महत्व देना होगा। यहां विशेष रूप से इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता को उसकी वसीयत के खिलाफ चिकित्सकीय जांच कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था ताकि उसकी आईपीएससी शिकायत का खंडन किया जा सके कि वह केवल 15 वर्ष का था। दूसरी ओर यह दोहराने

योग्य है कि जगमाल अपीलकर्ता ने किसी भी स्तर पर इस उद्देश्य के लिए खुद की चिकित्सीय या रेडियोलॉजिकल जांच कराने की पेशकश भी नहीं की। यह भी ध्यान में रखना होगा कि डॉ. डी. आर. चुग व्यक्तिगत रूप से मामले में साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हुए थे, फिर भी उस स्तर पर भी चिकित्सा परीक्षण के लिए कोई दावा नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में विद्वान सत्र न्यायाधीश शायद ऊपर उद्धृत उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों में निर्धारित सख्त वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करने से बेहतर कुछ नहीं कर सकते। उपरोक्त नियमों एवं आदेशों का औचित्य पुनः प्रकट होता प्रतीत होता है। मेडिको-लीगल न्यायशास्त्र में यह स्वयंसिद्ध है कि उम्र के उद्देश्य के लिए मात्र नैदानिक परीक्षा किसी भी सटीकता के साथ इसे ठीक नहीं कर सकती है। कभी-कभी 5 से 7 साल तक की व्यापक भिन्नता संभवतः केवल एक नैदानिक परीक्षा पर दी गई राय के परिणामस्वरूप हो सकती है, इतना ही नहीं, यहां तक कि ओसिफिकेशन परीक्षण को लागू करने के लिए रेडियोलॉजिकल परीक्षा में भी दो या अधिक वर्षों का अंतर रह जाएगा। इस संबंध में यह स्वीकृत चिकित्सीय-कानूनी राय है। एक निश्चित आयु से अधिक के व्यक्तियों में कोई भी रेडियोलॉजिकल परीक्षण और ओसिफिकेशन परीक्षण बहुत कम या कोई मदद नहीं कर सकता है। यह इस संदर्भ में है कि उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों ने पीठासीन अधिकारियों पर उम्र के बारे में अपनी राय दर्ज करने का वैधानिक दायित्व रखा है, जहां यह महत्वपूर्ण हो सकता है। इस नियम के अनुपालन को आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब कम उम्र के व्यक्तियों में मार्जिन 8 से 10 साल तक भिन्न होता है। यह संभावना नहीं है कि 14 वर्ष का कोई बच्चा किसी अनुभवी न्यायिक अधिकारी के सामने उपस्थित होने पर 10 वर्ष से अधिक का दिखाई देगा जो अभियुक्त व्यक्तियों के मुकदमे में प्रतिदिन पारंगत है। समान रूप से यह भी ध्यान में रखना होगा कि कानून उम्र के मुद्दे पर जो लाभ प्रदान करता है, उसे ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता और वास्तव में सभी आरोपी व्यक्ति आवश्यक रूप से इच्छुक व्यक्ति होंगे, केवल उम्र के मुद्दे पर आरोपी के मुंह के शब्दों को स्वीकार करना इसलिए, आपराधिक क़ानून के लाभों का अनुचित लाभ लेने के पेटेंट उद्देश्य के साथ इच्छुक आईपीएस डिजिट पर अनुचित प्रीमटम लगाया जा सकता है। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा बाल अधिनियम के तहत लाभ के उद्देश्य के लिए उम्र निर्धारित करने का दायित्व अनिवार्य रूप से आरोपी व्यक्ति पर होना चाहिए और उसे उचित रूप से मुक्त किया जाना चाहिए।

20. उपरोक्त चर्चा से यह अनिवार्य रूप से प्रतीत होता है कि बेबुनियादता को बनाए रखने के लिए वर्तमान रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है और अब अपीलकर्ता जगमाल की ओर से विलंबित दलील देने की मांग की गई है कि वह उस समय एक बच्चा था- अधिनियम का कार्यान्वयन. हमारा मानना है कि अपील पूरी तरह से निराधार है और इसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया

जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

श्रेया बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा